File No. A-12023/1/2007-VSP(A)
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
Vidhi Sahitya Prakashan
******

I.L.I. Building, Bhagwan Dass Marg,
New Delhi-110001,
Dated the 14th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Filling up of one vacant post of Superintendent (Printing) in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice on deputation basis - reg.

The undersigned is directed to state that Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice invites to fill up one Group B (gazetted) post of Superintendent (Printing) in the Pay Level of Level-7 (Rs. 44900-142400)as per 7th CPC and CCS (Revised) Pay Rules, 2016 (pre-revised) on the deputation basis on usual terms and conditions. The eligibility criteria for filling the post on deputation basis is as under : -

Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory administration : -

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with five years' service in the grade after appointment thereto on regular basis in the Pay Level of Level-6 (Rs. 44900-142400)as per 7th CPC (pre-revised in band-2, Rs. 9300-34800 + grade pay of Rs. 4200) in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience.

(i) Bachelor's Degreefrom a recognized University with Hindi as an elective or compulsory subject; and

(ii) Two years' experience of printing and proof reading of law books particularly acts rules and regulations in the office of Central Government or State Government or Union Territory administration.

2. The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.

3. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

4. The deputation will be governed by the terms and conditions as contained in the DOP&T O.M. No. 2/29/91-Estt.(Pay-II) dated 5th January, 1994 and OM No. 6/8/2009-Esstt.(Pay-II) dated 17th June, 2010 as amended from time to time.

5. It is requested that the applications of the eligible officials, who fulfill the required qualification and can be considered for appointment to the post of Superintendent (Printing)and whose services could be spared immediately, may be forwarded to this Prakashan in the proforma enclosed along with their vigilance clearance and up-to-date APARS for the last five years, so as to reach the undersigned within 60 days from the date of publication of the vacancy notice in the 'Employment News'.

6. The candidate selected for the post will not be allowed to withdraw his/her name.

(Uttam Prakash)
Deputy Secretary to the Government of India

उप सचिव (प्रशा.)/Deputy Secretary (Admn.)
वि. कार्य विभाग/Legislative Department
विधि साहित्य प्रकाशन/Vidhi Sahitya Prakashan
विधि एवं न्याय मंत्रालय
Ministry of Law & Justice
नई दिल्ली/New Delhi

Copy to:-

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India.
2. The Deputy Director, Directorate of Advertising and Visual Publicity, M/o Information of Broadcasting, 7th Floor, Soochna Bhawan, CGO Complex, New Delhi for publication in Employment News.
3. NIC Cell of this Department with the request to upload this circular on the website of this Department.
4. Under Secretary, Department of Personnel & Training CS-I(Coord) Division, 2nd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan, New Delhi.

(Uttam Prakash)
Deputy Secretary to the Government of India

उप सचिव (प्रशा.)/Deputy Secretary (Admn.)
विधायी विभाग/Legislative Department
विधि साहित्य प्रकाशन/Vidhi Sahitya Prakashan
विधि एवं न्याय मंत्रालय
Ministry of Law & Justice
नई दिल्ली/New Delhi

Application proforma for the post of Superintendent (Printing) in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department,Ministry of Law and Justice, New Delhi

Name of the Officer :

Father's/Husband's Name :

Date of Birth :

Gender :

Educational Qualifications :

Post for which to be considered :

Presentpost held (with pay scale and date of appointment :

Permanent post held :

Brief particulars of service with nature of duties

Performance and experience :

Whether officer belong's to Scheduled Caste/Scheduled

Tribe Community :

Permanent Address :

Address for Communication :

Additional information if any, which you would like to mention

In support of your suitability for the post :

Tel./Mob. /Email ID :

Remarks

Signature of the Candidate

DEPARTMENTAL ENDORSEMENT

Certified that the information given by Shri/Smt./Ms. ....is correct and his/her services, will be spared in the event of his/her selection for appointment by deputation/absorption to the post of Superintendent (Printing) in Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice. He/she is clear from vigilance angle and no major/minor penalty has been imposed on him/her during the preceding 10 years. It is also certified that there is no doubt about the integrity of official and cadre clearance in respect of him/her has been already obtained.

Signature..........................

Name..............................

Designation........................

Department.........................

फा.सं.ए-12023/1/2007-वि.सा.प्र.(ए)
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
विधि साहित्य प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग
नई दिल्ली-110001
तारीख 14 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधीक्षक (मुद्रण) के एक रिक्त पद को भरे जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग और केंद्रीय सिविल सेवा वेतन नियम, 2016 (संशोधित) के अनुसार वेतन लेवल-7 (44900-142400) में अधीक्षक (मुद्रण) समूह 'ख' (राजपत्रित) अनुसचिवीय के एक रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रायिक निबंधनों और शर्तों पर भरने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं । प्रतिनियुक्ति पर इस पद को भरने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित है:-

(क) **केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी** :-

(ख) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिसने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन लेवल-6 (रुपए 44900-142400) - (पूर्व-पुनरीक्षित पे-बैंड 2, रु 9300-34800+ ग्रेड पे रु. 4200) में उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की है; और

(ग) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी एक वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के साथ बैचलर डिग्री; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार; संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के कार्यालय में विधि पुस्तकों विशेष रूप से अधिनियमों, नियमों और विनियमों के मुद्रण और प्रूफ रीडिंग का दो वर्ष का अनुभव ।

2. पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

3. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

4. प्रतिनियुक्ति समय-समय पर यथासंशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.2/29/91- स्था. (वेतन-II) तारीख 5 जनवरी 1994 और कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था.(वेतन-II) तारीख 17 जून 2010 में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तो द्वारा शासित होगी ।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसे पात्र पदधारियों के आवेदन, जो अपेक्षित अर्हता पूरी करते हैं और अधीक्षक (मुद्रण) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता हो और जिन्हें तुरंत सेवा मुक्त किया जा सकता हो, इसके साथ संलग्न प्रोफार्मा में इस प्रकाशन को उनके पिछले पांच वर्ष की सतर्कता निर्बाधन और पांच वर्षो की अद्यतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ भेजा जाए । आवेदन 'रोजगार समाचार' में रिक्ति सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाएं ।

6. उक्त पद के लिए चयनित अभ्यर्थी को अपना नाम वापस लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(उत्तम प्रकाश)
उप सचिव, भारत सरकार

उप सचिव (प्रशा.)/Deputy Secretary (Admn.)
विधायी विभाग/Legislative Department
विधि साहित्य प्रकाशन/Vidhi Sahitya Prakashan
विधि एवं न्याय मंत्रालय
Ministry of Law & Justice
नई दिल्ली/New Delhi

प्रति निम्नलिखित को :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. निदेशक रोजगार समाचार, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को रोजगार समाचार के आगामी अंक में प्रकाशित करें |
3. एनआईसी सेल को इस परिपत्र को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ ।
4. अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सीएस-I (समन्वय प्रभाग) **द्वितीय तल**, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली ।

(उत्तम प्रकाश)
उप सचिव, भारत सरकार

उप सचिव (प्रशा.)/Deputy Secretary (Admn.)
विधायी विभाग/Legislative Department
विधि साहित्य प्रकाशन/Vidhi Sahitya Prakashan
विधि एवं न्याय मंत्रालय
Ministry of Law & Justice
नई दिल्ली/New Delhi

विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली में अधीक्षक (मुद्रण) के पद के लिए आवेदन प्रपत्र

अधिकारी का नाम

पिता/पति का नाम

जन्म तिथि

लिंग

शैक्षणिक योग्यता

पद जिसके लिए विचार किया जाना है ।

वर्तमान में आयोजित (वेतनमान और नियुक्ति की तारीख के साथ)
स्थायी पद

सेवा का संक्षिप्त विवरण, निभाए गए कर्तव्यों की प्रकृति और अनुभव

क्या अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से है ।

स्थायी पता

पत्राचार का पता

पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में
अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो, जिसका उल्लेख आप करना चाहेंगे

टेलीफोन/मोबाइल/ईमेल आईडी

टिप्पणी

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

विभागीय समर्थन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में अधीक्षक (मुद्रण) के पद पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए उनके चयन की स्थिति में उनकी सेवाएं बख्श दी जाएंगी। वे सतर्कता की दृष्टि से दोषमुक्त हैं तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ा/छोटा दंड नहीं लगाया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है तथा उनके संबंध में कैडर क्लीयरेंस पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।

हस्ताक्षर.........................

नाम..................................

पदनाम..............................

विभाग..............................

दिनांक: